


कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

:-कार्यालय आदेश:-

राज्य सरकार के ज्ञापन क्रमांक एफ-1(2) एफडी (रूल्स) 06 पार्ट-1 जयपुर दिनांक 11.06.2014 / 07.08.2014 / 08.08.2019 / 25.10.2019 / 06.01.2020 एवं 22.02.2021 की पालना में नीचे वर्णित प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में कार्यरत परिवीक्षाकाल की निम्नांकित अवधि में उपभोग किए असाधारण अवकाश राजस्थान सेवा नियम 96 के तहत एतद्वारा स्वीकृत किया जाता है :

| क्र.सं. | नाम एवं पदस्थापन स्थान राउमावि. /राबाउमावि. | विषय | लिये गये अवकाश की अवधि | दिनों की संख्या | अवकाश का प्रकार |
|--------------|---|-------|--|-------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | रंजना मीना - राउमावि. सर्नेट, हिण्डौन, करौली | भूगोल | 15.09.2017 से 06.10.2017 26.10.2017 से 22.12.2017 09.01.2018 से 18.01.2018 | 22 दिवस 58 दिवस 10 दिवस | असाधारण अवकाश |
| योग- 90 दिवस | | | | | |


(सौरभ स्वामी)

आई.ए.ए.ए.
निदेशक


माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-5/प्रोबेशनरी ट्रेनी/दीर्घावृद्धि अवकाश/19-20

दिनांक 05/07/2021

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1.संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा।
- 2.संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) मा.शि./मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....
- 3.संबंधित प्रधानाचार्य.....
- 4.सिस्टम एनेलेसिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग
- 5.सम्बन्धित कार्मिक.....
- 6.निजी/रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर